न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 20/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 10.1.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

दौलतराम आ0 हजारीलाल जाति माली निवासी कुम्हारों का मोहल्ला नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सम्पूर्णानन्द राय अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 5/2018 (प्रा0 पत्र– धारा 136 एलआरएक्ट) बउनवान दौलतराम बनाम तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 10.10.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बावत इन्द्राज दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि अपीलार्थी की आराजी वाकै ग्राम नान्ता तह0 लाडपुरा मे स्थित है जिसके पुराने ख0 नं0 494 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ख0 नं0 496 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख0 नं0 497 रकबा 2 बिस्वा कुल 3 किता क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा जो सेटलमेट के दौरान 0.08 है0 कम करके नया खसरा नम्बर मे परिवर्तित कर नये खसरा नम्बर 885 रकबा 0.48 है0 अपीलार्थी के खाते मे दर्ज की गई। जिसको दुरूस्त करते हुये 0.48 है0 के स्थान पर 0.56 है0 दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी अपना पक्ष सिद्ध करने मे विफल रहना मानते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 10.10.2022 से अस्वीकार कर खारिज किये जाने पर व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को नजरअंदाज करते हुये उक्त निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 3.6.2022 से रकबा बरारी करने पर रकबा 0.56 है0 बनना तथा मौके पर रकबा 0.56 है0 पूरा होना वर्णित करते हुये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे रकबा कम दर्ज होना अंकित किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण मे सभी वांछित दस्तावेज/राजस्व रिकार्ड पेश किये गये थे जिससे अपीलार्थी के कथन की पुष्टि होती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वादग्रस्त आराजी विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल नं0 158 दिनांक 3.11.1974 को अपीलांट के खाते मे दर्ज हुई है तब से अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु सेटलमेंट सं0 2038 से 2057 के दौरान अपीलांट के खसरा नम्बरों मे परिवर्तन करते हुये गत रकबे के मुकाबले 0.08 है0 रकबा कम करके 0.48 है0 ही दर्ज किया गया जबकि मौके पर आराजी रकबा 0.56 है0 पूरा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मण्डल द्वारा उदयलाल बनाम सरकार अपील/एलआर/6933/2011 मे पारित न्यायिक निर्णय 3.12.2012 का दृष्टान्त पेश किया था जिसे भी नजर अन्दाज किया गया। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 10.10.2022

अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपास्त करते हुये वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित आराजी का रकबा 0.48 है0 के स्थान पर 0.56 है0 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलार्थी की आराजी वाकै ग्राम नान्ता तह0 लाडपुरा मे स्थित है जिसके पुराने ख0 नं0 494 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ख0 नं0 496 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख0 नं0 497 रकबा 2 बिस्वा कुल 3 किता क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा जो सेटलमेट के दौरान 0.08 है0 कम करके नया खसरा नम्बर मे परिवर्तित कर नये खसरा नम्बर 885 रकबा 0.48 है0 अपीलार्थी के खाते मे दर्ज की गई। जिसको दुरूस्त करते हुये 0.48 है0 के स्थान पर 0.56 है0 राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करा कर दर्ज कराने का अपीलार्थी वैधानिक अधिकारी है। अधीनसथ न्यायालय मे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 3.6.2022 से रकबा बरारी करने पर रकबा 0.56 है0 बनना तथा मौके पर रकबा 0.56 है0 पूरा होना वर्णित करते हुये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे रकबा कम दर्ज होना अंकित किया था फिर भी अधीनसथ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट एंव अपीलार्थी द्वारा अन्य वांछित राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 3.6.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाकै ग्राम नान्ता तह0 लाडपुरा मे अपीलार्थी खाते व कब्जे काश्त मे पुराने ख0 नं0 494 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ख0 नं0 496 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख0 नं0 497 रकबा 2 बिस्वा कुल 3 किता क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा के सेटलमेट के दौरान नये खसरा नम्बर 885 रकबा 0.48 है0 कायम किया गया जबकि रकबा 0.56 है0 बनता है। इस प्रकार अपीलार्थी के खाते मे गत रकबे के मुकाबले 0.08 है0 रकबा कम दर्ज किया गया। मुताबिक उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी ख0 नं0 885 पर काबिज है। ख0 नं0 885 रकबा 0.48 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी है। जबकि मौके पर नाप करने पर रकबा 0.56 है0 बनता है जो पूरा है। राजस्व नक्शे मे ख0 नं0 885 के लगवा ख0 नं0 का रकबा बरारी करने पर राजस्व रिकार्ड मे किसी भी खसरो मे रकबा नही बढना भी पटवारी हल्का द्वारा अपनी उक्त रिपोर्ट मे अंकित किया है इससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि दौराने सेटलमेट राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे गत रकबे के मुकाबले 0.08 है0 रकबा कम दर्ज किया गया जो पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट तथा प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से एक स्वीकारोक्ति तथ्य होने से अपीलार्थी उसको दुरूस्त कराने का वैधानिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलार्थी अपना पक्ष सिद्ध करने मे विफल रहना मानते हुये प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 10.10.2022 से अस्वीकार कर खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.10.2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनःविधिसम्मत एंव तथ्यात्क निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित रिमाड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उपर्युक्त विशलेषण अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.10.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये निर्णय मे विवेचित तथ्यों के आलोक मे विवादित आराजी के संबध मे सेटलमेट से पूर्व एंव बाद के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा इत्यादि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा